

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 850] No. 850] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 22, 2019/फाल्गुन 3, 1940 NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 22, 2019/PHALGUNA 3, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2019

का.आ. 981(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क विंग) की अधिसूचना संख्या का. आ. 78(अ), तारीख 4 फरवरी, 1999 द्वारा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के 0.000 कि.मी. से 52.800 कि.मी. और 52.800 कि.मी. से 164.750 कि.मी. (चेन्नै - तमिलनाडु/आंध्र प्रदेश सीमा-विजयवाड़ा सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा है;

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर 11.000 कि.मी. से 54.400 कि.मी. तक चेन्नै-टाडा सेक्शन (जिसे इसमें इसके पश्चात "उक्त सेक्शन" कहा गया है) के बीओटी (टोल) डीबीओएफटी आधार पर 6 लेन बनाने हेतु मैसेर्स एल एंड टी चेन्नै टाडा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय पीबी सं. 979, माउंट पूनामल्लई रोड, मनापक्कम, चेन्नै - 600089 में है (जिसे इसमें इसके पश्चात "रियायतग्राही" कहा गया गया है), के साथ 03.06.2008 को करार किया है।

और यतः, केंद्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ.सं. 474 (अ), तारीख 13.02.2009 द्वारा रियायतग्राही मैसर्स एल एंड टी चेन्नै टाडा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नै को प्राधिकरण द्वारा घोषित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से और करार में यथा विनिर्दिष्ट समापन की तारीख तक तिमलनाडु राज्य में बीओटी (टोल) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पर 11.000 किमी से 54.400 किमी तक चेन्नै-टाडा सेक्शन के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों पर शुल्क उदग्रहीत एवं संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत किया है। बीओटी रियायतग्राही ने प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण का कार्य 03.04.2009 को वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से प्रारम्भ किया।

1210 GI/2019 (1)

और यतः, भाराराप्रा ने बीओटी रियायतग्राही से प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण का कार्य 23.06.2016 (00.00 बजे) से अपने हाथ में ले लिया। रियायतग्राही मेसर्स एल एंड टी चेन्नै-टाडा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड ने बी ओ टी रियायत करार के अंतर्गत मध्यस्थता का आह्वान किया है और अभी तक बीओटी करार को प्रतिबंधित/निलंबित नही किया गया है। भाराराप्रा का.आ.सं. 474 तारीख 13.02.2009 के रियायत करार/शुल्क अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण का कार्य जारी रखे हुए हैं। तथापि, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात भाराराप्रा इस शुल्क अधिसूचना के अधीन प्रावधानों के अनुसार प्रयोक्ता शुल्क का संग्रहण करेगा।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अधिसूचना संख्या का.आ. 474(अ) तारीख 13.02.2009 के अधिक्रमण में, सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पहले कर ली गईं हैं अथवा करने में लोप करा दी गईं हैं, चार और अधिक के लेन के खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों पर सारिणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) सड़क की निवल लंबाई 42.150 किमी और सड़क पर 1.250 किमी संरचना (जिनकी लंबाई 60 मी. से अधिक है) और समकक्ष लंबाई 12.50 कि.मी. है के उपयोग के लिए नीचे सारणी-1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर तिमलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 के चेन्नै-टाडा सेक्शन के 11.000 किमी से 54.400 किमी तक की दर पर शुल्क उद्गहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्ः-

सारिणी-1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी	1.05
बस	
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूर्विंग उपस्कर	3.45
ईएमई) या बहुधुरीय वाहन (एमएवी)	
(चार से छह धुरी वाले)	
बड़े आकर वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

 नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, शुल्क प्लाजा पर, ऐसे प्रत्येक शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु शोध्य और संदेय होगा, अर्थात्ः

शुल्क प्लाजा का अवस्थान	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	शुल्क की दर
(चैनेज)		
तिरुवल्लुर जिले में नल्लुर	42.150 (नीचे पैरा-2 में दर्शाई गईं संरचनाओं की	ऊपर सारणी- 1 में उल्लिखित
गाँव के पास, 21.625	1.250 कि.मी. की लंबाई को छोड़कर)	आधार दरों का 100 %
किमी पर		

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

शुल्क प्लाजा का अवस्थान			शुल्क की दर
(चैनेज)	किए जाने हेतु संरचनाओं* की लम्बाई	लम्बाई (कि.मी. में)	
	(कि.मी. में)		
तिरुवल्लुर जिले में नल्लुर	1.250*	12.50	ऊपर सारणी - 1 में
गाँव के पास, 21.625			उल्लिखित आधार दरों
किमी पर			का 100 %

* ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	60 मी. से अधिक लंबाई की संरचना, चैनेज		लंबाई(मी.)	संरचना का प्रकार
4.	किमी से	किमी तक		
1.	17.136	17.244	108.000	बड़े पुल
2.	26.439	26.873	434.000	बड़े पुल
3.	35.528	35.652	123.200	बड़े पुल
4.	52.617	52.721.360	104.360	बड़े पुल
5.	31.057	31.157	100.000	ग्रेड सेपरेटर
6.	42.175	42.275	100.000	ग्रेड सेपरेटर
7.	44.645	44.745	100.000	ग्रेड सेपरेटर
8.	38.867	38.947	80.000	ग्रेड सेपरेटर
	(अनुमानित)	(अनुमानित)	(अपूर्ण)	
9.	47.688	47.788	100.000	ग्रेड सेपरेटर
	(अनुमानित)	(अनुमानित)	(अपूर्ण)	
			1249.56	

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2018-19 के लिए मासिक पास की दर 255.00/- रूपए (दो सौ पचपन रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

4	राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्र	ाओं हेत <mark>ु</mark> पास	निम्नलिखित	दरों पर ज	नारी किया जाएग	п, अर्थात्ः
---	---------------------------	----------------------------	------------	-----------	----------------	-------------

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	अनुमत अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

- 5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परिमट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए विनिर्दिष्ट दर का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।
- 6. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को उक्त नियमों के नियम 10 के उप नियम 1ए में विनिर्दिष्ट के अनुसार समतुल्य शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमित नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नहीं दिया जाए।
- 7. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।
- 8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।
- 9. ऊपर सारिणी-1 में यथा उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खण्डों की पूरी कर ली गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, अंग्रेज़ी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा।
- 10. प्रयोक्ता शुल्क की दरें राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2011 द्वितीय संशोधन के प्रारंभ होने के पश्चात उन दरों के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी जो ऐसे प्रारंभ के तुरंत पहले लागू थीं और किसी भी मामले में इनमें वार्षिक वृद्धि इसके तुरंत पहले के वर्ष में लागू दर के 25% से अधिक नहीं होगी।
- 11. चार लेन राजमार्ग को छह लेन में उन्नयन करने की प्रक्रिया के दौरान, शुल्क की दर नियम 4 के उप नियम(2) में विनिर्दिष्ट शुल्क के पचहत्तर प्रतिशत तक ही सीमित होगी जिसकी गणना उन्नयन कार्य के प्रारंभ होने की तिथि से परियोजना की समाप्ति की तारीख तक की गयी हो और इसमें वार्षिक संशोधन नही किया जाएगा।
- 12. 31.12.2017 तक परियोजना की पूंजीगत लागत का वर्तमान मूल्य 889.57 करोड़ रुपए (आठ सौ नवासी करोड़ और सत्तावन लाख रुपये मात्र) है। प्राधिकरण द्वारा वसूल किए गए प्रयोक्ता शुल्क के जिरए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकॉर्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/435/सीओ/08-09/जीसी-चेन्नै-टाडा(पीएफ)]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February, 2019

S.O. 981(E).—Whereas, vide notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Road Wing) number S.O. 78(E) dated the 4th February,1999, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government entrusted the stretch from km 0.000 to km 52.800 and km 52.800 to km 164.750 (Chennai – Tamil Nadu / Andhra Pradesh Border – Vijayawada Section) of National Highway No. 5 in the State of Tamil Nadu and Andhra Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement on 03.06.2008 with M/s L&T Chennai Tada Tollway Private Limited, having its registered office at PB No. 979, Mount Poonamallee Road, Manapakkam, Chennai - 600089 (hereinafter referred to as the "Concessionaire") for the six lanning of Chennai - Tada section from Km 11.000 to Km 54.400 of National Highway Number 5 (hereinafter referred to as the "said section") as BOT (Toll) on DBFOT basis;

And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 8A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) read with Rule (3) of the National Highway Fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008, the Central Government by notification of the Government of India vide S.O. No. 474 (E) dated 13.02.2009 authorised the Concessionaire M/s L&T Chennai-Tada Tollway Private Limited, Chennai, for levying and collecting fee on mechanical vehicles for the use of Chennai – Tada section from km 11.000 to km 54.400 of National Highway No. 5 in the State of Tamil Nadu on BOT (Toll) basis on and from the Date of Commercial Operation declared by the Authority and till the termination date as specified in the Agreement. BOT Concessionaire started user fee collection from COD on 03.04.2009.

And whereas, the user fee collection has been taken over by NHAI from BOT Concessionaire w.e.f. 23.06.2016 (00:00 Hrs.). Concessionaire M/s L&T Chennai-Tada Tollway Private Limited has invoked Arbitration under BOT concession agreement and BOT agreement is yet to be foreclosured/terminated. NHAI is continuing the user fee collection as per provisions in Concession Agreement/Fee Notification S.O. No. 474 (E) dated 13.02.2009. However, after date of publication of this fee notification, NHAI shall collect user fee as per provisions under this fee notification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), and in supersession of the notification number S.O. 474 (E) dated 13.02.2009, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby levies the fee at the base rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 42.150 km and having 1.250 Km. of structure on road (having length more than 60m) with equivalent length of 12.50 km for use of the four and more lane sections (hereinafter referred to as "base rate") on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of Chennai - Tada Section from Km. 11.000 to Km. 54.400 of National Highway number 5 in the State of Tamil Nadu and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

TABLE-1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007- 08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05

Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three – axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for the distance specified for each such Fee Plaza, namely:-

Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate of fee
At km 21.625, near village Nallur in Tiruvallur District	42.150 (excluding 1.250 Km. length of structures indicated in Para-2 below)	100% of base rate mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Toll Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10:-

Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate of fee
At km 21.625, near village Nallur in Tiruvallur District		12.50	100% of base rate mentioned in Table-1 above

^{*} The details are as under:-

Sl. No.	Structure having than 60m, C		Type of Struct	Type of Structure
140.	From km	To km		
1	17.136	17.244	108.000	Major Bridges
2	26.439	26.873	434.000	Major Bridges
3	35.528	35.652	123.200	Major Bridges
4	52.617	52.721.360	104.360	Major Bridges
5	31.057	31.157	100.000	Grade separator
6	42.175	42.275	100.000	Grade separator
7	44.645	44.745	100.000	Grade separator
8	38.867	38.947	80.000	Grade separator
0	(Tentative)	(Tentative)	(Incomplete)	
9	47.688	47.788	100.000	Grade separator
9	(Tentative)	(Tentative)	(Incomplete)	
		Total	1249.56	

- 3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 255.00 (Rupees Two Hundred Fifty-Five only) for the year 2018-19, and is subject to revision every year as per the provisions of said rules.
- 4. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:-

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

- 5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicle.
- 6. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the toll collecting agency, equal to the fees specified in rule 1A of rule 10 of the said rules and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
- 7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said rules.
- 8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.
- 9. Based on the Base Rate of Fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the sections and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.
- 10. User fee rates shall not be increased after the commencement of National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Second Amendment, Rules, 2011 by more than twenty-five percent of the rates of fee applicable immediately before such commencement and further annual increase shall in no case be more than 25% of the rate applicable in the immediately preceding year.
- 11. During the process of upgradation of the four- lane highway to six-laning, the rate of fee shall be limited to seventy-five percent of the fees as specified in sub- rule (2) of rule 4 calculated on and from the date of commencement of the work relating to upgradation, till the date of completion of the project, without any annual revision.
- 12. The present value of Capital Cost of the Project as on 31.12.2017 is Rs.889.57 Crore (Rupee Eight Hundred Eighty-nine Crore Fifty-seven Lakh only). The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/435/CO/08-09/GC – Chennai-Tada (PF)]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.